न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व प्रकरण संख्याः– R-318-I /2015

पंछीलाल तनय भरोसा अहिरवार निवासी ग्राम जिनागढ़ तहसील बल्देवगढ़ जिला–टीकमगढ़ (म0 प्र0) .... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

राज्य मध्यप्रदेश

...................अनावेदक

राजस्व पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा–50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता विरुद्ध राजस्व प्रकरण क्रमांक–10/अ–21/12–13 दिनांक 12.12.12 कलेक्टर महोदय, टीकमगढ़ जिसके अनुसार पुनरीक्षणकर्ता का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–237 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता नोईयत परिवर्तन करने के सम्बन्ध में निरस्त किया गया है।

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की सादर निम्न प्रार्थना हैः–

{1} यह कि पारित आदेश अधीनस्थ न्यायालय नियम, न्याय एवं विधि प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

{2} यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में आदेश पारित करते समय प्रकरण का समुचित अध्ययन मनन नहीं किया है तथा सरसरी तौर पर एकांगी दृष्टिकोण पारित कर पुनरीक्षणकर्ता का मामला निरस्त करने में त्रुटि की है।

{3} यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में आदेश पारित करते समय हल्का पटवारी का जांच प्रतिवदेन, नायब तहसीलदार महोदय, के प्रतिवेदन एवं प्रकरण में आवेदक की समुचित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0–368/एक/15 जिला–टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश पंछीलाल / म0प्र0 शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26 –10–2015	1– प्रकरण में आवेदक अभि0 श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, उपस्थित । उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । 2– यह निगरानी प्रकरण कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्र0क0– 10/अ–21/12–13 में पारित आदेश दिनांक– 12.12–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है, जिन्हें यहां पुनरांकित न किया जाकर उन पर विचार किया जा रहा है । निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संबंध में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया । अवलोकन से यह पाया गया कि कलैक्टर द्वारा मात्र यह अंकित करते हुए प्रकरण निरस्त किया गया है, कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि की नोइयत परिवर्तन का जो आवेदन पत्र दिया गया है, वह संहिता की धारा 237 के तहत प्रस्तुत किया गया है, जबकि इस धारा में व्यक्तिगत आवेदन पर नोइयत परिवर्तन करने का कोई प्रावधान नहीं है इसके अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है, कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में यह भी अंकित नहीं है, कि आवेदक नोइयत परिवर्तन क्यों कराना चाहता है । आवेदित भूमि का उपयोग किस रूप में करना चाहता है । कलेक्टर द्वारा जारी आदेश संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विधिवत जारी किया गया है, जो उचित है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से अग्राह्य किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा.रि.हो । सदस्य	1